

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

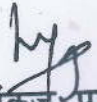
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.2 (क)/अलेसे I/निप लिंक न. 863/ 1048

दिनांक :- 13-01-17

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री मोहन लाल राठी [लिंक नं. 863] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), वन विभाग, जोधपुर [19344] को दिनांक 23/03/2015 दिनांक से 30/06/2015 तक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कार्यालय कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, जोधपुर [1117] के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 3 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (अधिकतम 6 माह तक) स्वीकृत किया जाता है।

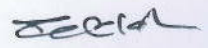

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.2 (क)/अलेसे I/निप लिंक न. 863/ 1048

दिनांक :- 13-01-17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), वन विभाग, जोधपुर
2. कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, जोधपुर
3. कोषाधिकारी जोधपुर
4. श्री /श्रीमती / सुश्री मोहन लाल राठी [863] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), वन विभाग, जोधपुर
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली / निजी पत्रावली


(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)